न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री कुशल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—23/2015 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO :—2015/00107
दायर दिनांक 22.12.2015
निर्णय दिनांक 18.03.2021

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री महमुद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री अशोक कुमार मेहता पिता श्री रमेश चन्द्र मेहता (विक्रेता मालिक) मैसर्स मेहता एजेन्सी, हॉस्पीटल के सामने, रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. श्री ज्ञानचन्द गबरा पुत्र श्री शन्तुमल गबरा,(भागीदार थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई 23—24, सुखेर बाई पास प्रताप नगर, गिर्वा, उदयपुर।
3. श्री ललित लोढा पुत्र श्री गुमानीलाल लोढा (भागीदार थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई 23—24, सुखेर बाई पास प्रताप नगर, गिर्वा, उदयपुर।
4. श्री सुरेश कुमार दक पुत्र श्री सोहनलाल दक (भागीदार थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई 23—24, सुखेर बाई पास प्रताप नगर, गिर्वा, उदयपुर।
5. मैसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई 23—24, सुखेर बाई पास प्रताप नगर, गिर्वा, उदयपुर (थोक विक्रेता फर्म)
6. श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक, (सेल्स मैनेजर) (नोमिनी फर्म)
   मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, एम 5 ए कनॉट सर्कस, नई दिल्ली— 110001
   सी/ओ मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज, ई 168, रोड नं0 9 जे वीकेआई एरिया, जयपुर — 302013
7. मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, एम 5 ए कनॉट सर्कस, नई दिल्ली— 110001(फर्म)
   सी/ओ मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज, ई 168, रोड नं0 9 जे वीकेआई एरिया, जयपुर — 302013

— विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (II) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए /नोटिफिकेशन/ 2011/775 दिनांक

10.08.2011 के अनुसरण में श्री महमुद अली ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबसटेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री अशोक कुमार मेहता पिता श्री रमेश चन्द्र मेहता (विक्रेता मालिक) जो की किराणा का बेचने का कार्य करते है। तथा इनकी दूकान मैसर्स मेहता एजेन्सी, हॉस्पीटल के सामने, रेलमगरा, जिला राजसमन्द पर दिनांक 05.06.2015 को समय 04.00 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश नही किया । वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर के पास खाद्य पदार्थ इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) पोली पैक्ड 420 ग्राम आम जनता के लिए विक्रय हेतू रखे हुऐ थे। इसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) 420 ग्राम के 8 पॉली पैक्ड थैलियां वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 472/- रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई -487 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2015/1988 दिनांक 02.07.2015 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/ 359/एक्ट/2015/389 दिनांक 30.06.2015 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) सबसटैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 07.12.2015 को अभियोजन

न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द

स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

न्यायालय में अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता स्वयं उपस्थित हुए। एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए अपना विस्तृत जवाब पेश करते हुए अनुरोध किया कि उनके द्वारा निर्मित व विक्रीत खाद्य पदार्थ इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) निर्धारित मानकों के अनुसार ही बनाया गया है। तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड होने के आरोप मिथ्या है, अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 (2) के समस्त खण्डों और उसके अधीन बनाये गये नियमों व विनियमों का उल्लघंन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। अतः उनको आरोप मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावें अथवा विकल्प में शुन्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावें।

अपने कथनों के समर्थन में अप्रार्थीगण ने The food safety and standards (food products standards and food additives) Regulations, 2011 के regulation 2.4.10 (1) , 2.4.10 , 3.1.2 प्रस्तुत किये।

अप्रार्थीगण ने कथन किया कि खाद्य विश्लेषक ने उनके खाद्य पदार्थ इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) अवमानक माना है। जबकि इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) मुलक खाद्य है और अवमानक नहीं है। नियम 2011 के अनुसार इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) के कोई मानक निर्धारित नहीं है। यह निजस्वमूलक खाद्य के रूप में वर्गीकृत है। नियम 2.1.2 के अनुसार वह खाद्य जिसका मानक विनिर्दिष्ट नहीं है, निजस्व मुलक खाद्य है। इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) proprietary food है। जिसके लिए इन विनियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है।

खाद्य विश्लेषक ने हमारे उत्पाद इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) को मिसब्राण्ड उत्पाद मानकर रिपोर्ट दी है। जबकि यह तथ्य सही नहीं है। मेक्रोनी खाद्य उत्पाद विनियम 2011 के विनियम 2.4.10 (1) के अनुसार मेदा अथवा सुजी से बने वह पदार्थ होते है जो अन्य खाद्य पदार्थो जैसे आटा, सुजी , सोया आटा, दुध पाउडर, मसाला, विटामिन मिनरल्स आदि के साथ मिश्रित करके अथवा बिना मिश्रित किए तैयार किए जाते हैं। विनियम 2.4.10 (1) मैक्रोनी

उत्पादों पर लागु है, इन्सटेन्ट नूडल्स पर नहीं। अतः इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) को विनियम 2.4.10 ग वर्णित मानको के साथ नहीं रखा जा सकता। वाणिज्यिक रूप से भी नूडल्स मैक्रोनी उत्पादों से भिन्न है। मैंगी नुडल्स पूर्ण पक्का एवं खाद्य तेल में तला हुआ उत्पाद है, जो मात्र 2 मिनिट धीमी आंच पर पकाने मात्र से तैयार हो जाता है। जबकि विनियम 2.4.10 (1) के अनुसार मैक्रोनी उत्पादों में मात्र कच्चा उत्पाद रूप में खाद्य शामिल है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण दिनांक 5.12.89 के अनुसार आदेश दिनांक 27.11.89 द्वारा मैक्रोनी उत्पादों को इन्सटेन्ट नुडल्स से अलग रखा गया क्योंकि मैक्रोनी उत्पाद कच्ची अवस्था में हैं जबकि नुडल्स पूर्ण पक्की अवस्था में है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आदेश F.No.10 /QA/ENFORCEMENT Issues/ FSSAI 2015 Date 08-06-10 द्वारा निर्धारित मानक मात्र मैक्रोनी श्रेणी के खाद्य उत्पादों पर लागु होगें।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समय समय पर अनुज्ञापन, परीक्षण एवं मानकों के विषय में FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत एडवाईजरी जारी कि जाती है इस संबंध में माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय ने रीट संख्या 2746/2013 के निर्णय में अभिनिर्धारित किया हैं कि FSSAI को धारा 16(1) के अन्तर्गत उन विषयों के संबंध में जारी करने का अधिकारी नहीं है, जो धारा 16(2) अथवा अधिनियम के अन्य उपबंधों से संबंधित हो । उक्त निर्णय को उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2015 द्वारा यथावत रखा गया। अतः एडवाइजरी दिनांक 8.6.2015 इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) के संबंध में शुन्य है।

खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट अनुसार caramel colour के कारण भी इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) को सबस्टैण्डर्ड माना है किन्तु विनियम 3.1.2 के अनुसार प्राकृतिक बंतंउमस बवसवनत खाद्य उत्पाद में प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार टेस्टमेकर के पैकेट पर निर्माता द्वारा कोई सूचना नहीं लिखी गई है, अतः उक्त उत्पाद मिसब्राण्ड भी है। इस संबंध में अप्रार्थी का स्पष्टीकरण है कि उनका टेस्टमेकर कोई अलग उत्पाद नहीं होकर नूडल्स के पैकेट के अन्दर ही पैक किया जाता है, जिसका विवरण बाहरी पैकेट पर होता है। टेस्टमेकर अलग से नहीं बेचा जाता है, और नाही काम में लिया जाता है। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के पत्र दिनांक 17.02.2015 में स्पष्ट किया है कि there is no objection in declaring the net wet on the pack of MAGGI instant noodles with testmakers as the sachet of testmaker inside the pack of maggi instant noodles is not meant and / or available for retail sale and hence, the separate declaration of net weight on the sachet of testmaker is not required under the legal metrology (packeged commodities) rules, 2011.

(हस्ताक्षर)

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

हमने परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ सलग्न दस्तावेजों तथा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस / 359 / एक्ट / 2015 / 389 दिनांक 30.06.2015 व दोनों पक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से मनन व विश्लेषण किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) की विनिमात्री कम्पनी नेसले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक है। और सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल केशमीमो द्वारा ही विक्रय किया जाता है। इन्सटेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) proprietary food जिनके लिए 2011 के विनियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है। उक्त प्रकरण में लिए गए नमूने के पैकेट पर ही इसे proprietary food घोषित किया हुआ है। किसी खाद्य पदार्थ को अमानक घोषित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए मानक निर्धारित किए गये है।

इस प्रकार proprietary food जिसका मानक विहित नहीं है, उसे अवमानक घोषित नहीं किया जा सकता। साथ ही रिपोर्ट के अन्य तथ्यों के संबंध में उपर किए गए विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचंते है कि प्रस्तुत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है। तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द